ओ३म्

वैदिक प्रबन्ध

जिसको

पं० लोकनाथ जी उपदेशक

आर्यसमाज पिंड दादनखां

ने

ला० ईश्वरदास जी प्रधान

आर्यसमाज के विस्तार करके

प्रकाशित किया

मरकनटाईल प्रेस लाहौर में [illegible] दीवानचन्द
मालिक के प्रबन्ध से छपा।

प्रथमवार १०००] [विना मूल्य

* ओ३म् *

भूमिका

इस लघु-पुस्तक (वैदिक प्रबन्ध) के प्रकाशित करने का वास्तविक उद्देश यह है कि आर्य समाज का मौजूदा प्रबन्ध न ऋषि दयानन्द जी के विचार के विचार के अनुकूल है और नाही वेदाज्ञा के। इस लिये प्रत्येक आर्य समाज के हित चिंतक का कर्त्तव्य है कि इसपर गंभीरंता से विचार करे। और अपने विचारों से मुझे अनुगृहीत करे यतः मुझे उपस्थित विचारों का अनुमोदन करने वाले महानुभावों का ज्ञान हो सके और इसपर नियमित आन्दोलन किया जाय और विचार के पश्चात् उचित वैदिक प्रबंध किया जा सके क्योंकि यह विचार कोई अन्तिम निर्णय करने वाले नहीं है।

निवेदक

...कनाथ आर्योपदेशक

पिंड दादनखान।

वैदिक प्रबन्ध

जिसको

पं० लोकनाथ जी उपदेशक

आर्यसमाज पिंड दादनखां

ने

ला० ईश्वरदास जी प्रधान

आर्यसमाज के विस्तार करके

प्रकाशित किया

मरकनटाईल प्रेस लाहौर में ला० दीवानचन्द

मालिक के प्रबन्ध से छपा।

प्रथमबार १०००] [विना मूल्य

* ओ३म् *

भूमिका

इस लघु-पुस्तक (वैदिक प्रबन्ध) के प्रकाशित करने का वास्तविक उद्देश यह है कि आर्य समाज का मौजूदा प्रबन्ध न ऋषि दयानन्द जी के विचार के विचार के अनुकूल है और नाही वेदाज्ञा के। इस लिये प्रत्येक आर्य समाज के हित चिंतक का कर्त्तव्य है कि इसपर गंभीरता से विचार करे। और अपने विचारों से मुझे अनुगृहीत करे यतः मुझे उपस्थित विचारों का अनुमोदन करने वाले महानुभावों का ज्ञान हो सके और इसपर नियमित आन्दोलन किया जाय और विचार के पश्चात् उचित वैदिक प्रबंध किया जा सके क्योंकि यह विचार कोई अन्तिम निर्णय करने वाले नहीं है।

निवेदक

लोकनाथ आर्योपदेशक

पिंड दादनखान।

॥ ओ३म् ॥

'वंदेमातरम्'

संसार की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती यदि संसार को नियम पूर्वक चलाने वाला कोई नियामक न होता, इसी प्रकार संसार का प्रत्येक कार्य जो मनुष्य समुदाय के अधीन होता है बिना नियमों के नहीं चल सकता, और जिन कार्यों को चलाने के लिये नियम तो होते हैं किंतु उन पर व्यवहार नहीं होता उन कार्यों का विगड़ जाना भी अवश्य भावी है कार्य के लिये नियम और नियम के लिये कार्य का होना अन्योन्याश्रय संबंध से सिद्ध है वह कार्य कभी सफल ही नहीं हो सकता जो विना नियम के किया या चलाया जाता है इसी कसौटी के आधार पर आज आर्य समाज के कामों की देखरेख करनी है इस सर्व संमत विचार से कोई भी विवेकी विद्वान् पुरुष विरोध नहीं कर सकता कि आर्य समाज का प्रत्येक काम अत्युत्तमता से और सदा चारता से संपादन किया जाता है चाहे वह काम धर्म प्रचार का हो या विद्या प्रचार का भारत वर्ष की प्रत्येक धार्मिक सभाओं के कार्यों से आर्य समाज का कार्य उच्चपद रखता है सही परंतु एक त्रुटि है जिसके दूर किये जाने पर आर्य समाज का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो सकता है. और कार्य की सफलता में दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति होसकती है वह त्रुटि यह है कि ऋषिदयानंद जी महाराज ने:—

(त्रीणिराजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि)

इस वेदमंत्र के आधार पर तीन सभाओं के (विद्यार्य सभा-धर्मार्य सभा-राज्यार्य सभा) पृथक् पृथक् बनाने का विधान सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठसमुल्लास में वर्णन किया है उपरोक्त वेद मंत्र का अर्थ ऋषि दयानंद ने इस प्रकार किया है, ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिलके (विदते) सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में (त्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्यार्थ सभा-धर्मार्य समा-राज्यार्य सभा नियत करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समग्र प्रजा संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषथः) सब ओर से विद्या स्वातंत्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें। इस वेद प्रमाण से साफ़ जाहिर होता है तीनों सभाओं का पृथक् पृथक् बनाना अत्यंन्तावश्यक है जिनसे धर्म संबंधी विद्या तथा राज्य संबंधी सारे कार्य सरलता और पवित्रता से चलसकें किंतु शोक से लिखना पड़ता है कि अभीतक उपस्थित आर्यसमाज ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है यही कारण है कि आर्य समाज को जितनी सफलता प्राप्त होनी चाहिये थी नहीं हो सकी और बिना उक्त तीन सभाओं के बनाये न इससे अधिक सफलता की संभावना होसकती है ॥

अभी तक वर्त्तमान् आर्य प्रतिनिधि सभाओं के कंधों पर विद्या विस्तार धर्म प्रचार और प्रबंधका भार है, जहां आर्य प्रतिनिधि सभाओं का यह कार्य वैदिक नियमों के विरुद्ध है वहां तीनों कामों में नाना प्रकार के विघ्न उपस्थि होते हैं और कार्य कर्त्ताओं में परस्पर ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं इस क

परिणाम यह होता है कि कार्य की सफलता के स्थान में कार्य का विनाश होने लगता है इस लिये प्रश्न वही बना रहता है कि तीनों सभायें पृथिक हों तब न्यूनता पूर्ण हो सकेगी इस त्रुटि के दूर किये बिना उद्देश पूरा नहीं हो सकेगा—भारतीय गवर्नमिन्ट के राज्य प्रबंध में देखिये कि न्याय और प्रबंध का कार्य एक स्थान पर होने के कारण कितनी कठिनायां उपस्थित होती हैं और किस प्रकार प्रबंधक न्यायकर्त्ता अपने आंतरिक विद्वेष का प्रतिकार किया करते हैं इसी प्रकार की बहुत सी अनवस्थायें बाधित कर देती हैं अतः अत्यंतावश्यक है कि सभाओं का कार्य तीन भागों में विभक्त करके अपनी २ सभा के अधीन कर दिया जाय जिस से सारे कार्य निर्विघ्न संपादित वा समाप्त किये जा सकें प्रवर्त्तित प्रबंध कार्य क्रम की त्रुटियें निम्न लिखित हैं—

आर्य समाज का वर्त्तमान् कार्य क्रम (आर्गन) मुंबई आर्य समाज का निर्माण किया हुवा है जिस समय यह निर्माण किया गया था उस समय उक्त समाज के प्रधान महाशय हरिश्चन्द्र चिंतामणि थे जो कि कोई ऋषि न थे जिस कारण उनकी पद्धति को निर्भ्रान्त कहा जासके और यह भी स्मरण रहे कि चिंता मणि महोदय कुछ काल समाज में रहने के पश्चात् थियासोफ़िकल सुसायटी के सभासद् बन गये थे और समाज को छोड़ दिया था इन कारणों से उक्त महाशय की प्रधानता में बनाये गये आर्गज़िनेशन को प्रमाणिक मानने के लिये हम बाधित नहीं हैं और नाहीं उस वक्त आर्य समाज मुंबई के ऋषि दयानंद जी महाराज सभासद् थे, इस लिये ऐसा

करने में उनकी कोई संमति नहीं ली गई थी और नाहीं ऋषि दयानंद जी महाराज जब तक कि उनको लाहौर आर्यसमाज का सभासद् नहीं बनाया गया था वह किसी प्रबंध के कार्य में अपनी संमति देना उचित नहीं समझते थे, जब यह सत्य है कि इस कार्य क्रम के बनाने में ऋषि दयानंद जी का कोई हाथ नहीं था और नाहीं इस में वेद मंत्र की आज्ञा का पूर्णरूपेण पालन किया गया है तो हमें अधिकार है कि हम इस कार्य क्रम का परित्याग कर दें इस प्रकार का कार्य क्रम प्रचलित करें जो वेदानुकूल हो और जिसपर ऋषि दयानंदजी महाराज की अनुमति हो, ऐसा करने पर आर्य समाज का गौरव बढ़ेगा क्योंकि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना आर्य समाज के नियमों में पाया जाता है यदि हम ऐसा न कर पाएं गे तो जहां 'संसार के उपकार करने संबंधी अपने नियम के विरुद्ध चलेंगे वहां लकीर के फकीर बनने की लोकोक्ति भी हमारे ऊपर चरितार्थ होगी और इस अनवस्था में हम अपना उद्देश्य पूरा कर सकें यह नितांत असंभव है, यदि इस कार्य क्रम के बनाने में ऋषि दयानंद का हाथ भी होता और अब हम इसे वेद विरुद्ध प्रमाणित कर सकते तो भी इसके परिवर्तन करने में हमें कोई संकोचन होनाचाहिए था क्योंकि ऋषि दयानंद ने हमें स्वयं अधिकार दिया है कि वेद विरुद्ध होने से मेरी कोई भी बात प्रमाण मत समझो परंतु यह कार्य क्रम तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखित ऋषि दयानंद जी के भी विचारों के अनुकूल नहीं है फिर इसके परिवर्तन करने में हमें क्यों संकोच होसकता है ? उक्त तीन

सभाओं के कार्य के पृथक् २ न होने के कारण सामूहिक रूप में आर्यसमाज को जो हानियां पहुंची हैं उनका दिग् दर्शन करा देना भी अप्रासंगिक न होगा, पहिली हानि आर्यसमाज के उस वार्षिकोत्सव से प्रारम्भ होती है जिस में कि ला० हंसराज जी से महा० शंकर दास ने (जिनका आधुनिक नाम स्वा० शंकरानद है) यह प्रश्न किया था कि मांस खाना वेदानुकूल है या वेद विरुद्ध यदि उस वक्त धर्मार्य सभा पृथक होती तो यह प्रश्न ला० हंसराज जी से न किया जाकर धर्म सभा से किया जाता और धर्म सभा इस के लिए सप्रमाण व्यवस्था देती जो सब के लिए शिरोधार्य होती और विवाद न बढ़ता और नाहीं इतना अन्तर पड़ता किंतु धर्मसभा के न होने के कारण यह परिणाम हुवा कि आर्य समाज के दो दल बन गए इस दल बंदी के कारण आर्य समाज का वास्तविक गौरव ही नष्ट होगया और साथही आर्य समाज में धर्म प्रचार के स्थान में अनाचारता फैली दूसरी हानि शिक्षा प्रणाली के आधार पर हुई प्रचलित कालिज शिक्षा प्रणाली पर आर्य समाज में शिक्षा का प्रचार शुरू हुवा जिसका आदर्श वैदिक धर्म का प्रचार था, यूनिवर्स्टी नियम जो कि पश्चमी सभ्यता के आधार पर हैं हमारे वास्तविक उद्देश्य की पूर्त्ति में बाधक हुवे इस पर मांस का निषेध करने वाले दलने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की आधार शिला रक्खी विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का उद्देश होने के कारण दलबंदी अधिक दृढ़ होगई और हमारी शक्ति विभक्त होकर नष्ट होने लगी और हम अपने कार्य को पूर्ण न कर सके यदि आर्य समाज में विद्यार्य सभा पृथक होती तो वह निर्णय

कर सकती कि कौनसी शिक्षा प्रणाली उचित है जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना आर्य मात्र का कर्त्तव्य हो जाता न विवाद बढ़ता और न दल बंदी दृढ़ता का स्वरूप धारण कर पाती बल्कि आर्य समाज अपने गौरव के कार्य से संसार को अपने पीछे चला सकता और जो तीसरी हानि आर्य समाज को पहुंची वह राष्ट्रीय आंदोलन से सम्बन्ध रखती है चूंकि सन् १९२१ तथा १९२२ में अधिक संख्या में आर्य पुरुषों ने महात्मा गान्धी की राजनैतिक कार्य पद्धत्ति को मुख्य बना लिया था और उसके अनुकूल कार्य करना प्रारंभ कर दिया था किन्तु मालाबार और मुलतान आदि की दुर्घटनाओं ने आर्य समाज के अन्दर फिर से नये जीवन का संचार कर दिया है परन्तु आर्य समाज गत दो वर्ष का अपना अमूल्य समय नष्ट कर ही चुका था (अब पछताये होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत) इस दो साल के समय को नष्ट करने का कारण आर्य राज्य सभा का न होना था, प्रत्येक आर्यसमाज का हित ठंडे दिलसे इस पर विचार करके परिणाम सोचें कि हमने वेद तथा ऋषि दयानन्द जी महाराज की आज्ञाओं के विरुद्ध चलकर आर्यसमाज की कितनी हानि की है और अपने भविष्य को भी ऐसा अनिश्चित बनाया है कि जिसका सवरना कठिन है। अस्तु अब प्रश्न यह रह जाता है कि हम किस प्रकार उन तीन सभाओं का निर्माण कर सकते हैं जिस के लिये श्री मंत्री जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाबको तिथी ५ मार्च १९२४ को निम्न लिखि प्रस्ताव द्वारा सूचना दी गई है वेदाज्ञानुकूल यह आवश्यक है कि आर्य समाज के भिन्न २ कार्यों को करने

के लिये तीन सभायें हों अतः निश्चित किया जाय कि निम्न लिखित महाशयों की उप सभा बनाई जाय जो आर्य जनता की संमति लेकर ३ मास के अन्दर सूचित करें कि आर्य विद्या सभा धर्म सभा और राज्य सभा वास्तविक रूप में किस प्रकार संगठित की जा सकतीं हैं और इनका आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ क्या संबंध होना चाहिये पं० विश्वंभरनाथ मा० कृष्ण प्रो० शिवदयाल प्रो० रामदेव ला० ईश्वरदास–ला० ईश्वरदास मंत्री तथा प्रो० शिवदयालु सभापति।

सूचना दी जाचुकी है कि वह यथाविधि इस पर विचार करने के लिये उक्त प्रस्ताव को सभा में उपस्थि करें तथापि इस पर मैं अपने विचार संक्षेप से भेंट करता हूं (धर्मार्य सभा के पृथक होने के कारण धर्म प्रचार में बहुत कठिनाइयां होती हैं उपस्थित सभाओं के वशित्व (कंट्रोल) को उपदेशक लोग स्वीकार करते हुए हिचकचाते हैं कभी कभी उन्हें धन संग्रह करना पड़ता है जो उपदेशक धर्म के सर्वथा विरुद्ध है प्रचार संबंधी कठिनाइयों को यदि उपदेशक लोग सभा में वर्णन करते हैं तो उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, कदाचित् उन पर ऐसे नियम लागू कर दिये जाते हैं जो उपदेशक पद की स्थिति के प्रतिकूल जाते हैं यह सारी कठिनाइयां तब दूर हो सकेंगी जब कि पृथक् एक धर्मार्य सभा होगी उस का कर्तव्य होगा कि वह देश तथा विदेश संबंधी धर्म प्रचार के प्रकारों को सोचे और उन्हें कार्य रूप में परिणित करें प्रचारकों के उचित गौरव तथा सन्मान का ध्यान रक्खें आर्यसमाज के कार्यों के लिये सप्रमाण व्यवस्था दे अन्य मतावलंबी लोगों

के वैदिक धर्म पर किये गये आक्षेपों का उचित उत्तर दे आर्य सिद्धान्तों पर ग्रन्थ लिखे तथा अन्य आर्य पुरुषों द्वारा लिखे गये ग्रन्थों पर जो कि वैदिक मंतव्यों पर लिखे गये हों अपनी स्वीकृति की छाप लगावें इस सभा की स्वीकृति के बिना कोई नया नियम प्रचलित न किया जा सके अपने वर्ष भर के व्यय का खरीता राज्य सभा को स्वीकृति के लिये दे और उस से स्वीकृति लेकर वर्ष पर्यंत धर्म प्रचार का कार्य चलाया करे इस सभा के सभासद् आर्य समाजों के पुरोहित सभाओं के उपदेशक वानप्रस्थी तथा संन्यासी महात्मा हों और धर्मप्रचार संबंधी विशेष अनुभव रखने वाले अन्य महानुभाव भी सभासद् बनाये जा सकते हैं उक्त सभासद् निर्वाचक के अधिकारों से वार्षिक निर्वाचन द्वारा वर्ष भर कार्य चलाने के लिये अपने अधिकारियों को निर्वाचित करें इनपर कोई वार्षिक या मासिक कर नहीं होना चाहिये अधिकार और अधिकारियों की सीमा निश्चित करना इनके अधिकार में हो इसी प्रकार से एक विद्यार्य सभा होनी चाहिये जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के लिये पाठ विधि बना कर उस के अनुकूल शिक्षा का प्रचार करे शिक्षणालयों के लिये उचित स्थानों का अन्वेषण करके वहां निश्चित विधि के स्थान बनवाये, इस सभा के सभासद् पाठ शालाओं के अध्यापक गुरुकुलों के उपाध्याय तथा आचार्य हों और शिक्षा में विशेष योग्यता संपादन किये हुवे मनीषी विद्वान् भी बनाये जावें वर्ष भर के विद्या संबंधी कार्य को चलाने के लिये उक्त सभासद् निर्वाचक के अधिकारों से अपने अधिकारी चुने उक्त सभा के अधिकारियों की संख्या तथा अधिका

निश्चित करना इनके अधीन हो विद्यार्थियों के रहन सहन खान पान तथा वे शादियों का निश्चय करना भी उक्त सभा के अधिकार में हो विद्या संबंधी विषयों पर विशेष व्याख्यानों का प्रबन्ध करना इस सभा के आधीन हो इस सभा के बन जाने पर विद्या प्रचार के संबंध में जो कठिनाइयें अर्थात् उचितस्थान पर शिक्षणालयों का न होना खानपान तथा रहन सहन का उचित प्रबंध न होना आदि दूर हो जायेंगी और शिक्षा का आदर्श बहुत ऊंचा हो जायगा और जो लोग अब प्रचलित शिक्षापद्धति से भयभीत होते निर्भय होकर उक्त प्रणाली को अपनायेंगे राज्य सभा के न होने से आर्यसमाजियों को जो कष्ट होते हैं अर्थात् हमारा राज्य कर्मचारियों से क्या संबंध होना चाहिये हमारी वैदेशिक राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिये हमारे भोजनाच्छादनादि पदार्थों में स्वदेशी अथवा विदेशी वस्तुवों का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिये इत्यादि विषयों का निर्धारित करना राज्यार्य सभा के बिना नहीं होसकता इसलिय उक्त सभा का पृथक् निर्माण करना नितान्त आवश्यक है राज्यार्य सभा का निर्माण इस प्रकार किया जाय प्रत्येक समाज के सभासद अपने प्रतिनिधि चुन कर उक्त सभा में भेजें पुनः सब समाजों के प्रतिनिधि अपने वर्ष भरके प्रबंध संबंधी कार्य को चलाने के लिये अधिकारियों को तथा उनके अधिकारों को निश्चत करें हर एक समाज के हर एक निधि में आये हुवे धन का दशांश राज्य सभा को दिया जाया करे । राज्य सभा प्रत्येक प्रबंध संबंधी कार्य का निरीक्षण किया करे विद्यार्य सभा तथा

धर्मार्य सभा के वार्षिक व्यय के खरीदने की स्वीकृति देना भी राज्यार्य सभा के अधीन रहेगा यह तीनों सभाऐं एक दूसरे की सहायता किया करें तब हमारा उद्देश पूर्ण हो सकेगा किंतु आवश्यक है कि कोई सभा एक दूसरी सभा के कार्य में बाधक न हुवा करे यदि उचित समझा जाय तो यह आर्य प्रतिनिधि सभायें राज्य सभाओं का प्रबंध अपने ऊपर लेकर कार्य करें ॥

लोकनाथ आर्य

निश्चित करना इनके अधीन हो विद्यार्थियों के रहन सहन खान पान तथा वे शादियों का निश्चय करना भी उक्त सभा के अधिकार में हो विद्या संबंधी विषयों पर विशेष व्याख्यानों का प्रबन्ध करना इस सभा के आधीन हो इस सभा के बन जाने पर विद्या प्रचार के संबंध में जो कठिनाइयें (अर्थात् उचितस्थान पर शिक्षणालयों का न होना खानपान तथा रहन सहन का उचित प्रबंध न होना आदि) दूर हो जायेंगी और शिक्षा का आदर्श बहुत ऊंचा हो जायगा और जो लोग अब प्रचलित शिक्षापद्धति से भयभीत होते निर्भय होकर उक्त प्रणाली को अपनायेंगे राज्य सभा के न होने से आर्यसमाजियों को जो कष्ट होते हैं अर्थात् हमारा राज्य कर्मचारियों से क्या संबंध होना चाहिये हमारी वैदेशिक राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिये हमारे भोजनाच्छादनादि पदार्थों में स्वदेशी अथवा विदेशी वस्तुवों का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिये इत्यादि विषयों का निर्धारित करना राज्यार्य सभा के विना नहीं होसकता इसलिय उक्त सभा का पृथक् निर्माण करना नितान्त आवश्यक है राज्यार्य सभा का निर्माण इस प्रकार किया जाय प्रत्येक समाज के सभासद अपने प्रतिनिधि चुन कर उक्त सभा में भेजें पुनः सब समाजों के प्रतिनिधि अपने वर्ष भरके प्रबंध संबंधी कार्य को चलाने के लिये अधिकारियों को तथा उनके अधिकारों को निश्चत करें हर एक समाज हर एक निधि में आये हुवे धन का दशांश राज्य सभा को दिया जाया करे। राज्य सभा प्रत्येक प्रबंध संबंधी कार्य का निरीक्षण किया करे विद्यार्य सभा तथा

धर्मार्य सभा के वार्षिक व्यय के खरीदने की स्वीकृति देना भी राज्यार्य सभा के अधीन रहेगा यह तीनों सभाएें एक दूसरे की सहायता किया करें तब हमारा उद्देश पूर्ण हो सकेगा किंतु आवश्यक है कि कोई सभा एक दूसरी सभा के कार्य में बाधक न हुवा करे यदि उचित समझा जाय तो यह आर्य प्रतिनिधि सभायें राज्य सभाओं का प्रबंध अपने ऊपर लेकर कार्य करें ॥

लोकनाथ आर्य